

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-न-5(7)पु.फो./उ.नि./2019 /

6279

दिनांक:-23.12.2019

उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती (उत्कृष्ट खिलाडी खेल कोटा) हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-17 (2) (ए) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस में खेल कोटा के तहत उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के 10 प्रतिशत पद (68 पद) पर उत्कृष्ट खिलाडी भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इनफो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क एवं जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) पर उपलब्ध होंगे।

भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या-20/2019 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस पश्चात से 30 दिवस तक भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना, समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे।

1. आवेदन प्रक्रिया :-

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन 'online application form' लिये जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क या जन-सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 0294-3057541 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

एक से अधिक खेल/इवेंट में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक-पृथक शुल्क के साथ पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा 'online application form' निम्नानुसार भरा जा सकता है -

i. स्वयं के स्तर पर:-

अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाइट www.recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट-बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर-

अभ्यर्थी आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रुपये 30 +GST, संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन-पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा हो गया है।

(ङ) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो। नमूना हस्ताक्षर (साईज 20kb- 50 kb) भी अपलोड करें अथवा स्कैन हेतु ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें।

नोट:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवे एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई है। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (iii) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iv) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।
- (v) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit होना न मानें।
- (vi) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। यह ध्यान रखा जावे कि इन 10 दिवस में केवल आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जायेगा, यह आवेदन पत्र भरने का अतिरिक्त अवसर नहीं होगा।

2. आवेदन शुल्क-

1	सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग एवं राज्य से बाहर के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रुपये 400/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया अभ्यर्थी हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)	रुपये 350/-
3	सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के राजस्थान राज्य के मूल निवासी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है।	रुपये 350/-

नोट-परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में जानकारी के लिए recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

3. प्रवेश-पत्र

विभाग द्वारा प्रवेश-पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना, ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना, समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त (download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

4. शैक्षणिक योग्यता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री।

1. उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रायल से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
2. अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

5. आयुसीमा:-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(82)डीओपी/ए-2/84/पार्ट दिनांक 25.06.2004 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक प-2(70)गृह-1/2012 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा (अधिकतम आयुसीमा में 2 वर्ष की स्थाई वृद्धि) किये जाने पर आयु की गणना 01 जनवरी, 2021 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2001	02.01.1996	02.01.1991
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ एम.बी.सी./सहरिया वर्ग	01.01.2001	02.01.1991	02.01.1986
कर्त्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2001	02.01.1993	02.01.1993
भूतपूर्व सैनिक	लागू नहीं	02.01.1981	02.01.1981

नोट:-

1. उपरोक्त वर्णित आयु में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
2. शासन से प्राप्त सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण में किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी उपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।
3. अन्य राज्य के एससी/एसटी एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा तथा इन्हें किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। (राज्य सरकार के परिपत्र एफ-15(24)डीओपी / आल/75 दिनांक 24.06.2008)

6. शारीरिक मापदण्ड :-

(i) शारीरिक मापदण्ड:-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए-81 से.मी. फुलाने पर-86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट:-

1. विहित शारीरिक योग्यता के मानदण्डों के धारक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के वांछित संख्या में सुयोग्य अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में, अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के अभ्यर्थी जिनकी लम्बाई और सीने के माप 5 सेन्टीमीटर तक कम है, भी शारीरिक दृष्टि से योग्य माने जावेंगे।
2. पहन्डी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियम-14 राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
3. महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित उंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

(ii) मानसिक मापदण्ड-

सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सेवा के सदस्य के नाते उसमें अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पूरा करने की योग्यता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाला मानसिक या शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए।

7. नियुक्ति के लिए अयोग्यता:-

- (i) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/95/पार्ट-2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम संतान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।
- (iii) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
- (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
- (v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित (डिबार) किये गये ऐसे अभ्यर्थी जिनके वंचित(डिबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
- (vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 1300 दिनांक 28.03.17 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों के तात्कालिक प्रावधान लागू होंगे।

8. खेल कोटा में भर्ती हेतु विज्ञापित पद:-

स्पोर्ट्स कोटा के अन्तर्गत भरे जाने वाले उप निरीक्षक(एपी)-61, उप निरीक्षक(आईबी)-04, प्लाटून कमाण्डर (आरएसी)-02 एवं उप निरीक्षक(एमबीसी)-01, कुल 68 पद निम्न स्पोर्ट्स/गेम्स के खिलाड़ियों से भरे जाएंगे:-

क्र.सं	खेल का नाम	ईवेंट	उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर		
			पुरुष	महिला	योग
1.	कुश्ती	ग्रीको रोमन	2	0	2
		फ्री स्टाइल	2	2	4
2.	बॉक्सिंग		2	1	3
3.	भारोत्तोलन		1	0	1
4.	बॉडी बिल्डिंग		1	0	1

क.सं.	खेल का नाम	इवेंट	उप निरीक्षक/प्लेटून कमाण्डर		
			पुरुष	महिला	योग
5.	वुशू		0	1	1
6.	योगा		1	1	2
7.	तैराकी		1	0	1
8.	तीरंदाजी	रिकर्व	1	1	2
9.	शूटिंग (स्पोर्ट्स)	पिस्टल	3	1	4
		राइफल	3	2	5
10.	घुड़सवारी	शो-जम्पिंग	1	0	1
		इवेंटिंग	1	0	1
11.	एथलेटिक्स	100 मी. रन	0	1	1
		200 मी. रन	1	0	1
		800 मी. रन	1	0	1
		5000 मी. रन	1	0	1
		10000 मी. रन	1	0	1
		शॉटपुट	0	1	1
		हाई जम्प	1	1	2
12.	हॉकी	अटैकर	1	0	1
13.	फुटबॉल	स्ट्राइकर	1	0	1
14.	वालीबॉल	सेन्टर ब्लॉकर	2	0	2
		अटैकर	1	2	3
		सेटर	1	1	2
15.	बास्केटबॉल	शूटिंग गार्ड	1	2	3
		ऑल राउण्डर	2	2	4
		पोस्ट प्लेयर	1	0	1
16.	हैण्डबॉल	गोलकीपर	1	1	2
		पॉजिशन प्लेयर	1	1	2
		सेन्टर	1	1	2
		राइट विंग	1	0	1
17.	कबड्डी	राइट कॉर्नर	0	1	1
		लेफ्ट कॉर्नर	1	1	2
		रैडर	2	1	3
		ऑल राउण्डर	1	1	2
कुल योग →			42	26	68

नोट:- पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।

9. आवश्यक खेल प्रमाण-पत्र :-

अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से विभाग की आवश्यकतानुसार उपरोक्त खेलों के खिलाड़ियों के, नीचे अंकित खेल संस्थाओं द्वारा जारी खेल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे:-

1. इन्टरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC)
2. ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA)
3. इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स फेरडेशन (IOC से संबद्ध)
4. कॉमनवेल्थ गेम्स फेरडेशन (CGF)
5. एशियन स्पोर्ट्स फेरडेशन (OCA से संबद्ध)
6. साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल (SAOC)
7. इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA)
8. नेशनल स्पोर्ट्स फेरडेशन (IOA से संबद्ध)
9. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज (AIU)
10. स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन (स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध)

नोट:-

1. जिन अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त खेल संस्थानों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाण पत्र होंगे, वही आवेदन के लिए पात्र होंगे।
2. उपर वर्णित समस्त मापदण्डों के अनुरूप पाये गये अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया हेतु बुलाया जाएगा।
3. खेल प्रमाण-पत्र उपरोक्त पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से 5 वर्ष से पूर्व के नहीं होने चाहिए।

10. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया-

खेल कोटा के अन्तर्गत उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर का चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम, 17(2)(ए) के प्रावधान तथा इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या-20/2019 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया के 100 अंक होंगे जो 3 चरणों में आयोजित होगी- खेल प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन, शारीरिक मापतोल एवं ट्रायल। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक तथा ट्रायल के 30 अंक होंगे।

(अ) खेल प्रमाण-पत्र (70 अंक):-

अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये खेल प्रमाण-पत्रों के आधार पर उन्हें निम्नानुसार अंक प्रदान किये जाएंगे।

S.N.	Certificate	Position	Marks
1.	Won medal in Individual or Team Event/Represented country in Olympic Games (Summer) /World Cup/ World Championship/Asian Games/ Commonwealth Games.	1 st position	70
		2 nd position	67
		3 rd position	64
		any other	61
2.	Won medal in Individual or Team Event/Represented country in Asian Championship/ Asia Cup/ SAF Games	1 st position	58
		2 nd position	55
		3 rd position	52
		any other	49
3.	Won medal in Individual or Team Event / Participated in National Games/ Senior National Championship/ Open National Athletic Championship/ National Inter State Senior Athletic Championship/ Federation Cup National Senior Championship/National Cross Country Championship.	1 st position	46
		2 nd position	43
		3 rd position	40
		any other	37
4.	Won medal in Individual or Team Event / Participated in Youth National Games/ Youth national Championship/ Junior National Championship/ All India Inter University Games.	1 st position	34
		2 nd position	31
		3 rd position	28
		any other	25
5.	Won medal in Individual or Team Event in Senior State Championship and obtained	1 st position	22
		2 nd position	19
		3 rd position	16

खेल प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक **weightage** वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किये जाएंगे।

(ब) शारीरिक मापतोल (Physical Standard Test/PST)-

अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 में वर्णितानुसार शारीरिक माप-तोल (PST) की जायेगी। नियमानुसार गठित चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक माप-तोल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की ट्रायल ली जायेगी। चयन बोर्ड PST में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल से अवगत करायेगा तथा रिकार्ड पर उनके हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतोल की सूची पर चयन बोर्ड तथा राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर भय सील होंगे।

अपील—शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी चयन बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/—शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे ट्रायल प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अपील की क्रियान्विति के लिए चयन बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा। अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relaxation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relaxation) अंकित होगा।

नोट— अपील के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(स) ट्रायल (30 अंक)

खेल प्रमाण पत्र मूल्यांकन में उपयुक्त पाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी की चयन बोर्ड द्वारा सम्बन्धित खेल की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड व ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल के दौरान खिलाड़ी की तकनीक, दक्षता इत्यादि का आंकलन किया जाएगा।

(i) व्यक्तिगत स्पर्धा:—

जिन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रदर्शन का आंकलन समय/दूरी/वजन/ अंकों के आधार पर किया जाता है, उन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गत अखिल भारतीय पुलिस खेलों के रजत पदक विजेता के प्रदर्शन के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी ही आगे की चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाएंगे।

व्यक्तिगत स्पर्धाओं की ट्रायल में खिलाड़ियों को निम्नानुसार अंक प्रदान किये जाएंगे:—

स्थान	अंक
प्रथम	30
द्वितीय	28
तृतीय	26

तीसरे स्थान के पश्चात नीचे आने वाले प्रत्येक स्थान के लिए 2 अंक कम किये जावेंगे।

नोट:—यदि किसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एक ही अभ्यर्थी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की खेल विशेष की दक्षता के आंकलन हेतु चयन बोर्ड किसी बाहर के खिलाड़ी को बुलाकर उससे स्पर्धा करा सकेगा।

(ii) टीम स्पर्धा:—

चयन बोर्ड द्वारा ट्रायल कमेटी की मदद से सम्बन्धित खेल के नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी की ट्रायल ली जावेगी।

अभ्यर्थी को व्यक्तिगत स्पर्धा/टीम स्पर्धा में ट्रायल के लिए निर्धारित 30 अंक में से कम से कम 15 अंक प्राप्त करने होंगे।

चयन प्रक्रिया के दौरान 100 अंकों में कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

(द) स्वास्थ्य परीक्षण:-

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील—उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(य) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग एवं खेल प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा अटैस्टेशन फॉर्म (ATTESTATION FORM) भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. मैरिट सूची एवं पदों का आवंटन:-

चयन प्रक्रिया के दौरान खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन एवं ट्रायल के कुल 100 अंकों में से प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की खेलवाइज मैरिट सूची तैयार की जावेगी। व्यक्तिगत स्पर्धा की किसी विशेष वेट कटेगरी/ अन्य कटेगरी में प्राप्त स्थान के आधार पर चयन नहीं किया जाएगा, बल्कि खेलवाइज मैरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।

छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अंक अधिक प्राप्त करने पर भी, मैरिट सूची में छूट प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से नीचे रखा जाएगा।

अभ्यर्थी को मैरिट एवं आवेदन पत्र में अंकित उप निरीक्षक(एपी)/ उप निरीक्षक (आईबी)/प्लाटून कमाण्डर (आरएसी)/ उप निरीक्षक (एमबीसी) की प्राथमिकता के आधार पर पद आवंटित किया जाएगा।

12. वेतनमान एवं पेंशन :-

चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में खेल में दक्षता एवं संतोषजनक कार्य निष्पादन पर ही उनका स्थाईकरण किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के प्रावधानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 26500/-मासिक पारिश्रमिक देय होगा। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्शिक्षित वेतनमान) नियम-2017 की अनुसूची (v) के अन्तर्गत नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे। नियुक्त होने वाले उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

13. प्रमाण पत्र:-


अभ्यर्थियों को ट्रायल के दौरान निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-

- (i) खेल प्रमाण-पत्र।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- (iii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है, तो)
- (iv) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
- (v) अभ्यर्थी यदि राजकीय कर्मचारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम का कर्मचारी है, तो ऐसे कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (vi) अभ्यर्थी यदि मृतक पुलिस कर्मी की सन्तान है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।

- (vii) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।
- (ix) अभ्यर्थी से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.)रंगीन फोटो।
- (x) जिस अभ्यर्थी द्वारा परिवार की वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख कम लेने के कारण आवेदन शुल्क में छूट ली गई है उस अभ्यर्थी द्वारा आय प्रमाण पत्र शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जायेगी।


14. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
- (ii) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- (iii) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- (iv) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (v) चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- (vi) अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- (vii) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्ष में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्धित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- (viii) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या-20/2019 विभाग की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ix) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाइन नम्बर 0294.3057541 and e.mail id- recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- (x) भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों, का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जाएंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (Amendment) भी लागू होंगे।
- (xi) भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 (यथा संशोधित) तथा स्थाई आदेश संख्या-20/2019 में वर्णित प्रावधान ही अंतिम माने जावेंगे।


 (भूपेन्द्र सिंह)
 महानिदेशक पुलिस,
 राजस्थान।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिदेशक, गृहरक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/कारागार/कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. समस्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अतिरिक्त आयुक्त/पायुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी./एम.बी.सी./हाडीरानी बटालियन।
9. समस्त प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान।
11. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
12. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
13. समस्त जिला खेल अधिकारी, राजस्थान।
14. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाईट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।


महानिदेशक पुलिस
राजस्थान।